अखिल राजस्थान उच्च शिक्षा मंत्रालयिक कर्मचारी संघ (अरूस्मा)

(EMAIL ID : arusma2025@gmail.com)

प्रधान कार्यालयः SKIT कॉलेज के पास, रामनगरिया, जगतपुरा, जयपुर

क्रमांकः ARUSMA/प्रदेश/राज./2025/261–265 दिनांकः–14.01.2026

श्रीमान् मुख्यमंत्री/उच्च शिक्षामंत्री महोदय,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव,
उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

श्रीमान् कुलगुरू महोदय,
गोविंद गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय,
बांसवाडा।

विषयः– विश्वविद्यालय के अधीन संचालित विभिन्न महाविद्यालयों में परीक्षाओं के आयोजन के क्रम में देय पारिश्रमिक/मानदेय राशि को राजस्थान विश्वविद्यालय में देय पारिश्रमिक/मानदेय राशि दर के अनुसार करवाए जाने बाबत ज्ञापन।

संदर्भः– राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर के पत्रांक– एफ.1(38)आरबी/2015/6462 दिनांक– 21.08.2017 एवं श्रीमान संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग का पत्रांक– प.3(10)शिक्षा–4/2014/पार्ट दिनांक–30.06.2017

मान्यवर,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में गोविंद गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाडा से संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों की वार्षिक परीक्षा प्रणाली या समेस्टर परीक्षा प्रणाली में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के मानदेय/पारिश्रमिक की दरों में राजस्थान विश्वविद्यालय की नवीन निधार्रित दरों से वर्तमान से बहुत अधिक विषमता है।

श्रीमान् जी, **राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर के <u>पत्रांक– एफ.1(38)आरबी/2015/6462 दिनांक–21.08.2017 में वर्णित बिंदु क्रमांक– 04 'विश्वविद्यालयों में विभिन्न कर्मचारियों एवं प्राध्यापकों को विभिन्न गतिविधिवार दिये जाने वाले ओवर टाईम/पारिश्रमिक/मानदेय का निर्धारण' में</u>– 'भविष्य में विभिन्न विश्वविद्यालयों के द्वारा संबंधित महाविद्यालयों में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों की वार्षिक परीक्षा प्रणाली या समेस्टर परीक्षा प्रणाली में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के मानदेय/पारिश्रमिक का भुगतान राजस्थान विश्वविद्यालय की दरों के आधार पर किया जाए' का उल्लेख है। प्रदेश की समस्त विश्वविद्यालयों के द्वारा परीक्षाओं के मानदेय/पारिश्रमिक की दरों में अभिवृद्धि का आधार राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर की दरों को ही माना जाएगा।**

माननीय इसी क्रम में स्पष्ट हैं कि श्रीमान् कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के पत्रांक– उ.कु.(परीक्षा गोपनीय)/2023/1199–1206 दिनांक– 02.08.2023 के द्वारा शिक्षकों एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को सम्पन्न कराने हेतु देय पूर्व निर्धारित पारिश्रमिक/मानदेयों में मुख्य

(EMAIL ID : arusma2025@gmail.com)
प्रधान कार्यालयः SKIT कॉलेज के पास, रामनगरिया, जगतपुरा, जयपुर

परीक्षा– 2023 से अभिवृद्धि की गई है। जबकि गोविंद गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाडा में आज भी 10 वर्ष पूर्व निर्धारित मानदेय/पारिश्रमिक की दरों के आधार पर ही मानदेय/पारिश्रमिक का भुगतान किया जा रहा है। **जो कि संदर्भित पत्रों के अनुसार कार्मिक हित में नियमानुसार वैद्य एवं तर्कसंगत नहीं है।**

अतः श्रीमान् जी से निवेदन हैं कि– उक्त संदर्भित पत्र की अक्षरशः अनुपालना करवाए जाने एवं कार्मिक हित को सर्वोपरि रखते हुए उपरोक्त संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही संपादित करवाए जाने का श्रम करावें।

आपसे अनुरोध हैं कि कार्मिक हित एवं 'समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक' के सिद्धांत को लागू करवाने के लिए उपरोक्त माँग पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करवाने का श्रम करावें।

संलग्नः– 1. **राज्यपाल सचिवालय,राजभवन, जयपुर के पत्रांक–**
एफ.1(38)आरबी/2015/6462 दिनांक– 21.08.2017
की प्रतिलिपि।
2. श्रीमान् कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के पत्रांक–
उ.कु.(परीक्षा गोपनीय)/2023/1199–1206 दिनांक– 02.08.2023
की प्रतिलिपि।

दिनांकः– 14–01–2026 **भवदीय**

प्रकाश चन्द्र शर्मा

प्रदेशाध्यक्ष, ARUSMA

(EMAIL ID : arusma2025@gmail.com)
प्रधान कार्यालयः **SKIT** कॉलेज के पास, रामनगरिया, जगतपुरा, जयपुर

राजस्थान विश्वविद्यालय,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004

क्रमांकः उ.कु. (परीक्षा गोपनीय)/2023/ दिनांकः

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय वित्त समिति की विनिश्चय संख्या–5 दिनांक 16.03.2023 एवं तदनुसार विश्वविद्यालय सिंडिकेट की विनिश्चय संख्या 13-1.30 दिनांक 28.06.2023 के द्वारा किए गए अनुमोदन के अनुसरण में विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में जारी किए गए निर्धारित फॉर्म संख्या 24-E (Instructions to Centre Superintendents for the Examinations of 2023) के अन्तर्गत शिक्षकों एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को सम्पन्न कराने हेतु देय पूर्व निर्धारित पारिश्रमिक/मानदेयों में परीक्षा–2023 से निम्नानुसार अभिवृद्धि की जाती है:–

क्र.सं.	कार्य का विवरण	वर्तमान निर्धारित दर (Per day one session of 3 hrs.)	अभिवृद्धित दर	वर्तमान निर्धारित दर (per day two sessions of 3 hrs. each)	अभिवृद्धित दर	वर्तमान निर्धारित दर (Per day three session of 3 hrs. each)	अभिवृद्धित दर
1.	केन्द्राधीक्षक	Rs. 300/-	450/-	Rs. 500/-	750/-	Rs. 700/-	1000/-
2.	अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक	Rs. 200/-	300/-	Rs. 350/-	550/-	Rs. 500/-	700/-
3.	सहायक केन्द्राधीक्षक	Rs. 160/-	260/-	Rs. 300/-	500/-	Rs. 400/-	600/-
4.	वीक्षक	Rs. 150/-	250/-	-	-	-	-
5.	लिपिक	Rs. 80/- per session	150/-	-	-	-	-
6.	सहायक कर्मचारी	Rs. 60/- per session	120/-	-	-	-	-

Sd/-
कुलसचिव

क्रमांकः उ.कु. (परीक्षा गोपनीय)/2023/ 1199 – 1206 दिनांकः 2.8.23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर।
2. समस्त संकायों के संयोजक, रा.वि.वि., जयपुर।
3. वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार, रा.वि.वि., जयपुर।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/निदेशक/प्राचार्य/प्राचार्या, विश्वविद्यालय संघटक/सम्बद्ध महाविद्यालय/विभाग/केन्द्र, रा.वि.वि., जयपुर।
5. उप कुलसचिव (लेखा एवं वित्त), रा.वि.वि., जयपुर को उनके पत्र क्रमांक A&F/2023/2398-2409 dated 27.07.2023 के संदर्भ में वित्त समिति द्वारा की गई अनुशंसा (विनिश्चय संख्या–5 दिनांक 16.03.2023) के अनुसरण में परीक्षा अनुभाग द्वारा की गई उक्तानुसार कार्यवाही की सूचना Action Taken Report के संदर्भ में प्रेषित है।
6. उप कुलसचिव (शैक्षणिक–प्रथम), रा.वि.वि., जयपुर को सिंडीकेट के विनिश्चय संख्या 13-1.30 दिनांक 28.06.2023 के अनुसरण में परीक्षा अनुभाग द्वारा की गई उक्तानुसार कार्यवाही की सूचना Action Taken Report के संदर्भ में प्रेषित है।
7. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, रा.वि.वि., जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कार्यालय आदेश को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रसारित करवाने का श्रम करावें।
8. वरिष्ठ निजी सहायक, कुलपति/कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक, रा.वि.वि., जयपुर।

01.08.23
परीक्षा नियंत्रक

राज्यपाल सचिवालय
राजभवन, जयपुर

प्रेषकः

सचिव,
राज्यपाल,राजस्थान
जयपुर।

प्रेषितिः

कुलपतिगण
समस्त राजकीय विश्वविद्यालय

क्रमांकः एफ.1(38)आरबी / 2015 / 6462

दिनांक 21 अगस्त, 2017

विषय :– विश्वविद्यालयों में मानदेय एवं पारिश्रमिक की दरें निर्धारित करने के संबंध में।

संदर्भ :– संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग का पत्रांक प.3(10)शिक्षा–4 / 2014 / पार्ट दिनांक 30.6.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भ में निवेदन है कि कुलपति समन्वय समिति की बैठक दिनांक 29.1.2016 व 21.7.2016 में माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार विश्वविद्यालयों में मानदेय एवं पारिश्रमिक की दरें निर्धारित करने हेतु प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के संयोजकत्व में एक समिति का गठन किया गया था। उक्त समिति की अनुशंसा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राज भवन को प्रेषित की गई हैं एवं माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा निम्न बिन्दुओं का अनुमोदन कर दिया गया है :–

1. समस्त राजकीय विश्वविद्यालयों में समान कोर्सेज के लिए समान परीक्षा शुल्क,	राजकीय विश्वविद्यालयों में विभिन्न परीक्षाओं का शुल्क समिति द्वारा प्रस्तावित शुल्क अनुसार रखा जावे जिसमें प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की दर से वृद्धि की जावे (परिशिष्ट–1)। जो परीक्षाएं संलग्न सूची में सम्मिलित नहीं है उन परीक्षाओं के शुल्क का निर्धारण संबंधित विश्वविद्यालय अपने स्तर पर परीक्षा समिति, एकेडमिक काउंसिल, प्रबंध मण्डल (जहां भी आवश्यक हो) से स्वीकृति ले, कर सकेंगे, जिसमें प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जा सकेगी।
2. मार्किंग सिस्टम दृष्टिगत पेपर सेटर हेतु मानदेय एवं उसकी प्रकिया,	यह मानदेय विश्वविद्यालयों में मार्किंग सिस्टम हेतु गठित समिति द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार करवाया जावे (प्रति संलग्न)। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिये किसी भी परीक्षक / शिक्षक को एक शैक्षिक सत्र के लिये प्रदान किया जाने वाला मानदेय रूपये 1.00 लाख से अधिक नहीं हो (परिशिष्ट–2)।
3. परीक्षा में वीक्षक, केन्द्र अधीक्षक आदि परीक्षा कार्यों से जुड़े कार्मिकों को मानदेय का निर्धारण	यह मानदेय विश्वविद्यालयों में मार्किंग सिस्टम हेतु गठित समिति द्वारा जारी की गई दरों के आधार पर किया जावे (परिशिष्ट–3)।
4. विश्वविद्यालयों में विभिन्न कर्मचारियों व प्राध्यापकों को विभिन्न गतिविधिवार दिये जाने वाले ओवर टाईम / मानदेय /	अतिरिक्त पारिश्रमिक का भुगतान राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर करवाया जावे एवं भविष्य में भी राजस्थान विश्वविद्यालय की दरों

पारिश्रमिक का निर्धारण,	को आधार माना जावे (परिशिष्ट–4)। इस प्रकार के अतिरिक्त पारिश्रमिक का भुगतान किसी एक कार्मिक को एक शैक्षिक सत्र के लिये रूपये 1.00 लाख से अधिक नहीं किया जावे। जहां भी संभावना हो, अतिरिक्त कार्य बाह्य एजेन्सी द्वारा उचित प्रकिया अपनाते हुए अनुशंषा की जाती है। उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए भी किसी परीक्षक/शिक्षक को प्रदान किये जाने वाला मानदेय 1.00 लाख रूपये से अधिक नहीं होगा।

समिति द्वारा की गई अन्य अनुशंषा निम्नानुसार है :–

परीक्षा संबंधी समस्त व्यय परीक्षा शुल्क से पूरा किया जायेगा। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा कोई आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। साथ ही परीक्षा शुल्क से प्राप्त आय विश्वविद्यालय स्तर पर नियमानुसार व्यय कर सकेंगे, उसके लिए अतिरिक्त स्वीकृति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

निर्देशानुसार निवेदन है कि मार्किंग सिस्टम लागू किये जाने संबंधी आवश्यक कार्यवाही करवाई जाकर, की गई कार्यवाही की सूचना इस सचिवालय को भिजवाये जाने का श्रम करावें ताकि तदनुसार माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय को अवगत करवाया जा सके।

भवदीया,

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(कीर्ति शर्मा)
विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा